हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213

Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

क्रमांक:हि.शि.बो./38/संबद्वता/ 2019 17270 दिनांक: 1/2/2019

"कार्यालय आदेश"

संबद्वता कोड न० 31572
स्कूल कोड न० 4775

HEAD MASTER/PRINCIPAL,
KUTLEHAR PUBLIC SCHOOL
BALH
DISTRICT UNA(H.P)
PIN 174321

आपके संबद्वता आवेदन के सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा विनियम,1992 संशोधित 2009 के अन्तर्गत आपके संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए कक्षा 9^{th}-10^{th} हेतु अस्थाई संबद्वता निम्न शर्तो के आधार पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान उन्ही पाठ्य-पुस्तकों को पढ़ाने के लिए बाध्य होगा जो हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है ।
2. शिक्षण संस्थान संबद्वता विनियम की धारा-11 के अन्तर्गत निर्धारित दायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य होगा ।
3. बोर्ड के किसी भी अधिकारी द्वारा अकस्मात् निरीक्षण करने पर यदि यह पाया गया कि बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त कोई अन्य पुस्तकें पढ़ाई जा रही है या कोई और अनियमितता पाई गई तो संबद्वता रद्द कर दी जाएगी ।
4. यदि कोई शिक्षण संस्थान संबद्वता विनियम का दृढ़ता से पालन नही करता तो सक्षम अधिकारी को संबद्वता वापिस लेने/ रद्द करने का अधिकार होगा ।
5. संस्थान संबद्वता नियम 16.7.2(g) के अनुसार ही छात्रों का दाखिला अपने संस्थान में करेगा, यदि इस नियम की अनुपालना न की गई तो संबद्वता रद्द की जा सकती है।

नोट:-1. माननीय उच्च न्यायालय शिमला (हि०प्र०) के निर्देशानुसार उक्त संबद्वता पत्र की एक प्रति स्कूल द्वारा विधार्थियों/अभिभावकों की सूचना के लिए नोटिस बोर्ड पर लगाना अनिवार्य है ।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर मामले संख्या WP(Civil) 13029 of 1985 titled as Sh.MC Mehta Vs Union of India & Others के अन्तर्गत दिनांक 16/12/1997 को जारी आदेशों का कड़ाई से पालन करें। जिसके अनुसार स्कूल बसों के संचालन के संबन्ध में जारी आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए स्कूल बस/वैन व स्कूल द्वारा निर्धारित अन्य प्राईवेट वाहनों में छात्रों के सुरक्षित यातायात की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। उसकी पालना न करने पर किसी भी अप्रिय घटना के लिए स्कूल प्रशासन/ प्रबन्धन पूर्ण रूप से उत्तरदायि होगा।

1. आपको निर्देश दिये जाते है कि आप अपने संस्थान में दाखिल किये गये कक्षावार बच्चों की लिस्ट 31 मई 2019 तक तथा अध्यापकों की सूची योग्यता प्रमाण पत्र की प्रति सहित शैक्षणिक सत्र के शुरू होने के 15 दिनों के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय को भेजनी सुनिश्चित करेंगें,अन्यथा प्रदान संबद्वता को वापिस ले लिया जायेगा।
2. आपको निर्देश दिये जाते है कि आप भारत / हि० प्र० सरकार द्वारा जारी सभी विधिक प्रावधानों/ संबद्वता रेगुलेशन 1992 में निर्धारित संबद्वता मापदण्डों की अनुपालना भी सुनिश्चित करें।
3. भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र 0 तिथि एंव अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र 0 तिथि तक ही मान्य है इसलिए आपको इस तिथि की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर इसे बोर्ड कार्यालय में जमा करवाना होगा।

उप सचिव (संबद्वता)
कृते सचिव ।

Scanned by CamScanner